

बिहार सरकार
अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग
सं०-१ / निदें० छात्रावास(नि० / म०) -०५-२४ / २०१४

(राज्य योजना)

31

क,

प्रेम सिंह मीणा,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक— १९.०८.१६

विषय:—वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्य योजना के अन्तर्गत भवन निर्माण विभाग के पत्रांक-6622(भ)
अनु०/दिनांक—११.०७.२०१६ से प्राप्त अनुसूचित जाति के 100 शैयावाले डा० अम्बेदकर
कल्याण बालक छात्रावास, सैदपुर, पटना की जीर्णोद्धार हेतु उपलब्ध कराये गये तकनीकी
अनुमोदित प्राक्कलन कुल ₹६९,९१,१३५/- (उनहत्तर लाख एकानवे हजार एक सौ पैतीस
रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति एवं व्यय की स्वीकृति।

आदेश :—स्वीकृत।

2— प्रस्तावित राशि वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्य योजना मद के अन्तर्गत भवन
निर्माण विभाग के मांग सं०-०३ के तहत बजट मुख्य शीर्ष '४०५९— लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत
परिव्यय—उपमुख्य शीर्ष-०१— कार्यालय भवन— लधु शीर्ष-७८९—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष
धटक योजना—उपशीर्ष-०१०१—अनुसूचित जाति के भवन—विषय शीर्ष-५३०१—मुख्य निर्माण
कार्य—विपत्र कोड—पी० ४०५९०१७८९०१०१ से राशि विकलनीय होगा। व्यय बजट उपबन्ध के अन्तर्गत
होगा।

3— राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग, बिहार, पटना द्वारा निर्गत परिपत्र
पत्रांक-२५६१ दिनांक १७-४-१९९८ तथा समय—समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत
परिपत्रों के निहित निदेशों के आलोक में राशि की निकासी एवं व्यय किया जायेगा।

4— इस राशि के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, प्रधान सचिव, भवन निर्माण
विभाग, बिहार पटना के द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी होगे।

5— निर्माण कार्य भवन निर्माण विभाग द्वारा तैयार किये गये नक्शा, प्राक्कलन तथा
निर्धारित मापदण्ड एवं निर्धारित समय सीमा के अन्दर निर्माण करा लिया जायेगा।


6— इस योजना के लिये नियंत्री पदाधिकारी, प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग होंगे।
वे समय—समय पर कार्य की प्रगति एवं व्यय की गई राशि की उपयोगिता की सूचना अनु० जाति
एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग को भी माहवार उपलब्ध करायेंगे।

7— इस प्रस्ताव पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार से सहमति प्राप्त है।

8— इसकी सूचना सभी संबंधित पदाधिकारियों एवं कोषागार को दी जा रही है।

9— कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाय।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से


(प्रेम सिंह मीणा)
सरकार के सचिव।

-2-

ज्ञापांक— 1/निदेश छात्रावास(नि०/म०)–०५–२४/२०१४ ३। पटना, दिनांक— १९.०८.१६

प्रतिलिपि— प्रधान सचिव वित्त विभाग, बजट, शाखा/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(2) प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग/सचिव, निगरानी विभाग/विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(3) संबंधित कोषागार पदाधिकारी बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(4) संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/निकेशक, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित उप विकास आयुक्त/संबंधित उप निदेशक, कल्याण/संबंधित जिला कल्याण पदाधिकरी/संबंधित कार्यपालक अभियंता भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, बजट प्रशास्त्रा, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव।

विवरणी

क्रमांक	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि	स्वीकृत राशि
1	अनुसूचित जाति के 100 शैय्यावाले डॉ अम्बेदकर कल्याण बालक छात्रावास, सैदपुर, पटना के पुराने शौचालय का जीर्णोद्धार, साईकिल शेड, अवशेष पहुँच पथ, डीलकर्स शौचालय एवं यूरिनिल का निर्माण कार्य	₹ 50,50,876/-	₹ 50,50,876/-
2	अनुसूचित जाति के 100 शैय्यावाले डॉ अम्बेदकर कल्याण बालक छात्रावास, सैदपुर, पटना के मुख्य भवन के अतिरिक्त कार्यों एवं जलापूर्ति का कार्य	₹ 19,40,259/-	₹ 19,40,259/-
कुल योग		₹ 69,91,135/-	₹ 69,91,135/-

(उनहत्तर लाख एकानवे हजार एक सौ पैतीस रुपये)

ज्ञापांक— ३।

दिनांक— १९.०८.१६ सरकार के सचिव।

ANIL ALLOTTMENT 2016